

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 24, 1981/कार्तिक 2, 1903
No. 486] NEW DELHI, SATURDAY, OCT. 24, 1981/KARTIKA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1981

का. अ. 775 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1940 (1948 का
34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अक्टूबर, 1981 के 25वें दिन को उस तारीख
के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44
और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6
(धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले

ही प्रवृत्त की जा चुकी है) की उपबन्ध राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“रंगा रेड्डी जिले में औद्योगिक विकास क्षेत्र जीदीमेटला, जीदी-
मेटला ग्राम और राजस्वग्राम अलवालपेट, ,
बशीराबाद (पूर्व)

बोइन पाल्ली, कुतुबुल्लाहपुर (दक्षिण)

कुतुबुल्लाहपुर, गजसा रामाराम (पश्चिम)

कोम्पाल्ली, दूलापाल्ली साराराम (उत्तर)

की सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ।”

[संख्या एस-38013/27/81-एच.आई.]

वी. एन. अय्यर, अन्तर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1981

S.O. 775(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 25th day of October, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

“The area with the limits of Industrial Development Area Jeedimetla, Jeedimetla village and revenue villages of Alwalpet, Basheera Bad (East) Boin Pally, Qutubullah Pur (South) Qutubullah Pur, Gajla Ramaram (West) Kompally, Doolapally Sararam (North) of Ranga Reddy District.”

[No. S-38013/27/81-एच.]

V. N. AIYER, Under Secy.